न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (**RAS**)

राजस्व वाद–पत्र संख्या :–111/2013 **RCMS 2013/00084**

वादीगण

1. छीतरराम पुत्र हनुमानराम
2. सुवटी बेवा हनुमानराम जाति गुर्जर निवासी त्रिसिंगिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

प्रार्थना–पत्र रकबा की हुई त्रुटि को दुरूस्त कराने अन्तर्गत धारा 136/88 आर.एल. आर.एक्ट 1956 एवं राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।
राज पैरोकार प्रतिवादी

आदेश

दिनॉक 31-8-2023

वकील वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम त्रिसिंगिया पटवारी मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 60/1 रकबा 56 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्व. हणमान पुत्र भूराराम गुर्जर के कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारों की रही है जिनका स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त भूमि पर वादी बहैसियत पुत्र व वादी सं. 2 बहैसियत पत्नि उत्तराधिकारी खातेदार काबिज चले आ रहे है, उपर्युक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 60/1 के पूर्वी तरफ गत खसरा नम्बर 60 की भूमि व पश्चिमी तरफ गत खसरा नम्बर 63 की भूमि व उत्तरी तरफ गत खसरा नम्बर 62 व 61 की भूमि तथा दक्षिणी तरफ गत खसरा नम्बर 68 की भूमि मौके व नक्शा ट्रेस में अंकित रही है, नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही सम्पन्न होने पर गत खसरा नम्बर 60/1 के नवीन खसरा नम्बर 110 रकबा 0.89 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 146/80 रकबा 7.05 हैक्टर ही अंकित कर दिए। जबकि नवीन खसरा नम्बर 146/80 का नवीन खसरा नम्बर 110 का रकबा मौके पर 56 बीघा 12 बिस्वा (9.17 हैक्टर) भूमि रही है, मौके पर वादीगण की 56 बीघा 12 बिस्वा के बजाय नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही में 7.94 हैक्टर भूमि अंकित क दी गई जिससे वादीगण की करीब साढ़े सात बीघा भूमि कम दर्ज कर दी गई, जबकि 56 बीघा 12 बिस्वा 9.17 हैक्टर दर्ज होना चाहिए था, वादीगण की पूर्वी तरफ की भूमि गत खसरा नम्बर 60 का रकबा पूर्व के रकबा 293 बीघा 14 बिस्वा से बढ़ाकर नवीन खसरा नम्बर 81 रकबा 3.84 हैक्टर खसरा नम्बर 83 रकबा 37.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 164/.. रकबा 10.00 हैक्टर अंकित करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

हुए कुल 52.82 हैक्टर की करीब 320 बीघा भूमि नवीन भू–प्रबन्ध में दर्ज करके सरकारी खाते का रकबा 293 बीघा 14 बिस्वा से बढ़ाकर 320 बीघा बना दिया गया जो सरासर अवैध है। भू–प्रबन्ध अधिकारियों को भू–प्रबन्ध से पूर्व से अभिलिखित इन्द्राज के विपरीत किसी की खातेदारी कम करना व किसी की बढ़ाने का क्षेत्राधिकार ही नही था, इसलिए गत खसरा नम्बर 60/1 का रकबा कम अंकित करना भी गलत व अवैध है। वादीगण अपने भौतिक कब्जा नवीन खसरा नम्बर 146/80 का रकबा 7.05 हैक्टर के बजाय 8.28 हैक्टर अंकित कराने के हकदार है, कुछ समय पूर्व वादीगण अपनी भूमि की 56 बीघा 12 बिस्वा की तस्दीक कराने हेत पटवारी हल्का को कहा तो उन्होने मना कर दिया तथा नक्शा देखकर नवीन खसरा नम्बर 83, 81, 164/83 की भूमि का रकबा अधिक दर्ज होना बताया तथा वादी को सक्षम न्यायालय में पूर्व के माफिक खातेदारी रकबा दर्ज कराने हेतु कार्यवाही करने का निर्णय कराने के बाद खाता दुरूस्ती व नक्शा दुरूस्ती हो सकती है, इसलिए वाद लाना आवश्यक हुआ है। वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम त्रिसिंझा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 60/1 रकबा 56 बीघा 12 बिस्वा माफिक नवीन खसरा नम्बर 146/80 का रकबा 7.05 हैक्टर के बजाय 8.28 हैक्टर घोषित किया जाकर नवीन खसरा नम्बर 146/80 का 8.28 हैक्टर दुरूस्ती करने की डिक्री की जावें तथा खसरा नम्बर83 का रकबा 37.98 हैक्टर में से 1.23 हैक्टर कम किया जावें। नवीन खसरा नम्बर 146/80 का रकबा 7.05 हैक्टर के बजाय 8.28 हैक्टर की आकृति बनाकर नक्शा ट्रेस में 8.28 हैक्टर की आकृति को दुरूस्त किया जाकर दुरूस्ती हेतु तहसीलदार को आज्ञा प्रदान करावें।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार नावां/तहसीलदार कुचामनसिटी ने जवाब प्रस्तुत किया। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। वाद प्रस्तुत करते समय वादीगण द्वारा राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां को प्रतिवादी सं. 01 बनाया गया जिनके द्वारा तत्समय जवाब प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात राज्य सरकार के आदेशानुसार अति. तहसील कुचामनसिटी को तहसील का दर्जा देने से राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा भी जवाब यथासमय प्रस्तुत किया गया है।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से चालू नक्शा ट्रेस की नकल, जमाबंदी नकल सम्वत 2066–69, मिलान क्षेत्रफल की नकल, नक्शा ट्रेस की नकल, जमाबंदी नकल सम्वत 2016–2019, 2018–2021, 2032–2035, 2039–2042, की छाया प्रतियॉ, मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 12.05.2007 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

तहसीलदार नावां द्वारा रिपोर्ट 07.06.2011 को जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी ने अपने कथन में यह स्पष्ट नही कि[illegible] है [illegible] प्रार्थी का शेष रकबा किस नम्बर मे शामिल हुआ है। साबित खसरा नम्बर 60 र[illegible] 293 बीघा 14 बिस्वा गै.मु.गोचर सरकारी रही है जिसका नवीन क्षेत्रफल 47.54 हैक्टर बनता है मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 60 के नवीन खसरा नम्बर [illegible] रकबा 3.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 82

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रकबा 0.50 हैक्टर खसरा नम्बर 83 रकबा 37.98 हैक्टर खसरा नम्बर 84 रकबा 1.17 हैक्टर खसरा नम्बर 96 रकबा 0.15 हैक्टर बनकर रकबा 43.64 हैक्टर किस्म गै.मु.गोचर ग्राम पंचायत सरगोठ के खाते में दर्ज है, इससे स्पष्ट है कि गोचर भूमि का रकबा साबिक रकबे से कम है, अतः वादीगण का यह कथन असत्य है कि साबिक के मुकाबले वर्तमान रिकार्ड में गोचर का रकबा बढ़ा है बल्कि 3.90 हैक्टर कम है, वादी का वाद रिकार्ड एवं तथ्यों से परे होने से कारण खारिज योग्य है क्योंकि गोचर का रकबा पूर्व रकबे के मुकाबले कम हुआ है। ग्राम पंचायत सरगोठ आवश्यक पक्षकार है लेकिन उसको पक्षकार नही बनाया गया है अतः दावा चलने योग्य नही है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा दिनॉक 17.04.2017 को जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अभिलेख व मौका अनुसार ही विधिवत अभिलेख संघारित किया गया है, खसरा नम्बर 83 रकबा 37.98 हैक्टर गोचर राजकीय भूमि दर्ज है गै.मु.गोचर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है इसमें कभी भी किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है।

मौखिक साक्ष्य में किसी भी पक्षकार द्वारा मुख्य परीक्षक के शपथ–पत्र प्रस्तुत नही किय है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है तथा राजकीय पैराकार ने गै.मु.गोचर में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होने के कथन किये है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2066–2069 ग्राम त्रिसिंझा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 110 रकबा 0.89 हैक्टर बारानी प्रथम खसरा नम्बर 146 /80 रकबा 7.05 हैक्टर कुल रकबा 7.94 हैक्टर मं छितरराम पुत्र हणमानराम मु. सुवटी पत्नि हणमानराम जाति गुजर ब.हि.ब. खातेदार दर्ज है। जमाबंदी नकल सम्वत 2018–2021 में ग्राम तिरसिंझा के खसरा नम्बर 60/1 रकबा 56 बीघा 12 बिस्वा में हनुमान पुत्र भूराराम गुजर सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2032–2035 में ग्राम तिरसिंझा के खसरा नम्बर 60/1 रकबा 56 बीघा 12 बिस्वा में हनुमान पुत्र भूराराम गुजर सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2039–2042 ग्राम तिरसिंझा के खसरा नम्बर 60/1 रकबा 56 बीघा 12 बिस्वा में छीतर पुत्र हनुमान मु. सुवटी पत्नि हनुमान कौम गुजर सा. देह खातेदार दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2066–2069 ग्राम त्रिसिंझा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 83 रकबा 37.98 हैक्टर गै.मु.गोचर में चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु प्रविष्टि दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल की नकल अनुसार अनुसार ग्राम त्रिसिंझा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर खसराश्रम की स्थिति निम्नवत रही है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर))

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वर्तमान		गत		वर्तमान		गत	
नम्बर	रकबा	नम्बर	रकबा	नम्बर	रकबा	नम्बर	रकबा
११०	०.८६	६०/१	५६१११/२ ०.८६	१४६/८०	७.०५	६०/१	७.०५
१११	२.५०	६३ मी.	५६११/१ २.५०				
११३	०.७१	६३ मी.	०.७१				
११४	१.७०	६३ मी.	१.७०				
११५	१.७७	६३ मी.	१.७७	११६	२.६०	६३ मी.	२.६०

नकल खतौनी सम्वत 2016–2016 ग्राम तिरसिंझा के खसरा नम्बर 60 रकबा 504 बीघा 6 बिस्वा गै.मु.खारड़ा राजस्थान सरकार ग्रामवासियो द्वारा चराई अथवा दूसरे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ के लिए रखी गई चारागाह हेतु। सम्वत 2039–2042 अनुसार खसरा नम्बर 60 रकबा 293 बीघा 14 बिस्वा गै.मु.गोचर ग्राम वासियान चराई अथवा दूसरे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए रखी गई सामलाद है अथवा बिना बोई हुई जमीन ग्राम पंचायत सरगोठ की निगरानी में गोचर अंकित है। मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनॉक 12.05.2007 में खसरा नम्बर 126 की उत्तरी सीमा व खसरा नम्बर 146/80 दक्षिण की सीमा का मिलान करने से नक्शे से लिया व सीमाज्ञान किया जिससे खसरा नम्बर 126 में खसरा नम्बर 146/80 की भूमि वर्तमान में नही है। नक्शा ट्रेस वर्तमान एवं गत का मिलान करने पर भी ऐसा कही प्रतीत नही होता है कि वादीगण की इस्तदुआ अनुसार भूमि कमी बेशी हुई हो। वर्तमान जमाबंदी नकल अनुसार खसरा नम्बर 83 रकबा 37.98 हैक्टर गै. मु. गोचर चारागाह सामान्य काम हेतु हिस्सा पूर्ण सरकारी सा. देह दर्ज है, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.89 हैक्टर 146/80 रकबा 7.05 हैक्टर कुल रकबा 7.94 हैक्टर भूमि वादीगण के ब.हि.ब. दर्ज है। गत खसरा नम्बर 60/1 में वादीगण के पूर्वज हणमानराम के 56 बीघा 12 बिस्वा भूमि दर्ज रही है जो हैक्टर प्रणाली से 9.1620 हैक्टर भूमि होनी चाहिए, सेटलमेंट के दौरान कुल रकबा 7.94 हैक्टर दर्ज चला आ रहा है, वादीगण द्वारा 1.23 हैक्टर खसरा नम्बर 83 में से कम करते हुए मांग की गई है तथा खसरा नम्बर 146/80 का रबा 7.05 हैक्टर बजाय 8.28 हैक्टर किया जावे। इस संबंध में वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है कि उसकी भूमि गै.मु.गोचर में से कम की जावे ?

वादीगण ने केवल वाद पत्र में कथन ही किये है परन्तु यह साबित करने में असफल रहा है कि उपरोक्त कम रही भूमि खसरा नम्बर 83 रकबा 37.98 हैक्टर में से कम कर उसको 1.23 हैक्टर कि[illegible]थ्य केवल काल्पनिक प्रतीत होते है, जबकि गत खसरा नम्बर 60 की [illegible] 50[illegible] बीघा 6 बिस्वा गै.मु.खारड़ा रही तत्पश्चात गत खसरा नम्बर 60 [illegible]गै.मु.गोचर ग्राम वासियान चराई अथवा दूसरे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए रखी गई। हैक्टर प्रणाली अनुसार 293

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

बीघा 14 बिस्वा की भूमि 47.54 हैक्टर भूमि होती है जो वर्तमान में 43.64 हैक्टर ही खाते में दर्ज है। इस प्रकार राजकीय गै. मु. गोचर भूमि ही कम दर्ज चली आ रही है। सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार भी 146/80 की भूमि वर्तमान मे खसरा नम्बर 126 में नही है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 भूमियों जिनमें खातेदारी अधिकारी प्रोदभूत नही होगें – इस अधिनियम में या राज्य के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि या अधिनियमित में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित में खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होगें :–

(1)– चारागाह भूमि

(2)– किसी नदी या तालाब के तल की भूमि जिसका आकस्मिक रूप से या यदा कदा खेती के लिए उपयोग किया जाता हो। अन्य

उपरोक्त नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि उपरोक्त किस्म कि भूमि में किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते। वादीगण द्वारा उपरोक्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादी किसी भी तरह से प्रमाणित नही होता है तथा किसी प्रकार की मौखिक साक्ष्य में वादी एवं गवाह के मुख्य परीक्षण बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत नही करना इस बात की ताईद करता है कि उसकी खातेदारी उपरोक्त प्रश्नगत राजकीय भूमि में, कभी काश्त नही रही है तथा जिन खसरा नम्बरो में से भूमि की मांग की गई है उसका किसी भी तरह से प्रमाण नही हो रहा है तथा प्रस्तुत दस्तावेजो को भी वादीगण द्वारा प्रदर्श नही कराया गया है। यदि वादीगण द्वारा उपरोक्त भूमि के अभिवचन एवं कथन सही रूप से एवं सही खसरा नम्बर एवं कमी रकबा के यथार्थ दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत करते तो न्यायालय द्वारा अवश्य ही विचार किया जाता। परन्तु केवल अभिवचनो एवं कथनो पर विचार विमर्श न्यायालय द्वारा नही किया जा सकता । वादीगण वाद साबित करने में असफल रहे है। अतः वाद वादीगण साबित नही होने से काबिल खारिज योग्य होन से खारिज किया जाता है ।

आदेश

वाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनॉक 31/8/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**

बइजलास : **मनोज (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद–पत्र संख्या :–111/2013 **RCMS 2013/00084**

वादीगण

1. छीतरराम पुत्र हनुमानराम
2. सुवटी बेवा हनुमानराम जाति गुर्जर निवासी त्रिसिंगिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

प्रार्थना–पत्र रकबा की हुई त्रुटि को दुरूस्त कराने अन्तर्गत धारा 136/88 आर.एल. आर.एक्ट 1956 एवं राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू राज पैरोकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31 माह 08 सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत ....
ओहदा ....

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान					

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे उसको दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested